



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062026-273673
CG-DL-E-20062026-273673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3114]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3114]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

का.आ. 3237(अ).— केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987, 2007 तथा 2011) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 80% से अधिक हो जाने के फलस्वरूप एतद् द्वारा अधिसूचित करती है :-

राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, (एनआईपीएचएम)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030.

[फा. सं. 11016/1/2025-हि.नी.]

संजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2026

S.O. 3237(E).— In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended in 1987, 2007 and 2011), the Central Government, hereby notifies the following subordinate office of the Department of Agriculture and Farmers Welfare whereof more than 80% of officers/employees have acquired working knowledge of Hindi:-

National Institute of Plant Health Management (NIPHM)
Department of Agriculture and Farmers Welfare,
Rajendranagar, Hyderabad-500030.

[F. No. 11016 /1/2025-Hindi Neeti]

SANJAY KUMAR AGGARWAL. Jt. Secy.